निग०१८१-III/97

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक १९७ निगरानी

१। लोलर सिंह २। शिवराम सिंह
दोनों पुत्रगण मना सिंह
३। अमरजीत सिंह ४। बृजेन्द्र सिंह
५। अशोककुमार सिंह तीनों पुत्रगण
रंगनाथ सिंह
सभी निवासीगण ग्राम मवई, तहसील
चुरहट, जिला सीधी, म०प्र० ---
प्रार्थीगण

30 III
क्रमांक ... श्री एस०के० अवस्थी ... दिनांक 07.8.97
को प्रस्तुत 07.8.97
... ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म. प्र. ग्वालियर

28३3
6।4ee

विरुद्ध

१। बैजनाथ सिंह (२) दानबहादुर सिंह
पुत्रगण तेजभान सिंह, निवासीगण
ग्राम मवई, तहसील चुरहट, जिला सीधी
म०प्र० ---- असल प्रतिप्रार्थी
३। ललन सिंह (फौत) वारिस

(१) राजेन्द्र सिंह पुत्र दद्दू लाल सिंह
निवासीगण ग्राम मवई
निवासी ग्राम मवई तहसील
चुरहट, जिला सीधी, म०प्र० --
तरतीबी प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश आयुक्त महो० रीवा संभाग
दिनांक २८-४-९७ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू
राजस्व संहिता। प्र०क्र० ३२४/९३-९४ निगरानी

---- २

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 189–तीन/1997 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–07–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 324/1993–94/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28.04.97 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक लोलर सिंह एवं शिवराम सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के न्यायालय में दिनांक 13.01.1986 को इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मबई की 16 किता आराजियात जिनका कुल रकबा 11.76 ए0है0 का पट्टा तत्कालीन पवाईदार ने संम्बत 1993 में दिया गया था, लेकिन इस पट्टा का अमल दरामत पटवारी अभिलेखों में अभी तक नहीं हुआ है, इसलिये इनकी इत्तलायागी कराई जावे । अनावेदकों ने इस कार्यवाही में अपनी आपत्ति प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी ने मामले में कार्यवाही के पश्चात 10–52ए पर आवेदकों को भूमिस्वामी दर्ज किए जाने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने कलेक्टर सीधी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की । कलेक्टर ने अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया तथा पट्टे की वैधता की जांच करने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । इसी प्रत्यावर्तित आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में निगरानी	

प्रस्तुत किया गया । न्यायालय अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, कलेक्टर के आदेश को उचित माना है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया है । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत जांच के पश्चात आदेश पारित किया था । ऐसी स्थित में प्रकरण के प्रत्यावर्तित किये जाने का कोई औचित्य नहीं था । कलेक्टर सीधी द्वारा प्रत्यावर्तित का जो आदेश पारित किया गया है वह उचित नहीं है । पवाईदार ने जो पट्टा आवेदकगण को दिया था वह 30 वर्ष से अधिका का पुराना होने के कारण साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वयं सिद्ध है । इस कारण प्रकरण को प्रत्यावर्तित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । उन्होंने तर्क मे यह भी बताया है कि अपर आयुक्त ने बिना किसी आधार एवं बिना किसी जांच के पट्टे को प्रथम दृष्टया सही न माना है। उनके समक्ष निगरानी में उठाई गई आपत्तियों का न तो कोई विचार किया और न उनका उल्लेख ही विवादित आदेश में किया गया है । इस कारण उनका आदेश निरस्ती योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार कर, अपर आयुक्त एवं कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अभिलेखों का अध्ययन किया गया । मैंने उस पट्टे को भी देखा जो आवेदकों को सम्बत 1993 याने वर्ष 1936 में पवाईदार ने दिया था । आवेदक इस पट्टे को तब से अपने

पास रखे रहे एवं 50 वर्ष के पश्चात पहली बार दिनांक 13.01.2006 को इस पट्टे के अनुसार अभिलेखों में प्रविष्टि करने का आवेदन किया गया। इस पट्टे की लिखावट एवं कागज को देखने मात्र से ही वह उतना पुराना नहीं दिखता जितना पुराना उसे होना कहा जा रहा है, इस कारण उक्त पट्टा संदिग्द्ध प्रतीत होती है । इसके अलावा वर्ष 1958–59 की खतौनी जमाबन्दी को संहिता की धारा 123 के अन्तर्गत विन्ध्य प्रदेश क्षेत्र के लिये अधिकार अभिलेख माना है, में यह भूमि शासकीय दर्ज है । चूँकि उस समय विवादित भूमियॉ शासकीय अभिलिखित की गई है, इसलिये अब इस प्रविष्टि में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी स्थिति में ऐसे पट्टे जिसकी विश्वसनीयता प्रथम दृष्टया संदिग्द्ध है तथा उस पट्टे के आधार पर इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात आवेदकों को भूमिस्वामी अभिलिखित किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।

6/ मेरे मतानुसार अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने इस पट्टे के आधार पर अभिलेख दुरूस्त करने का जो आदेश पारित किया है वह अवैध है एवं ऐसे आदेश को कलेक्टर ने निरस्त करके उचित किया है । इसीलिये कलेक्टर के विचाराधीन आदेश का यह अंश उचित होने से स्थिर रखे जाने के योग्य है । कलेक्टर ने अपने आदेश के द्वारा प्रकरण को पट्टे की वैधता की जांच बरीके से करने के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है, जिसे अपर आयुक्त अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने अपने आदेश दिनांक 28.04.97 से कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश की पुष्टि की है, किन्तु कलेक्टर के प्रश्नाधीन आदेश में पट्टे की वैधता की जांच किये जाने के निर्देश को अपर आयुक्त ने उचित नहीं माना है । मैं अपर आयुक्त के इस तर्क से सहमत हूँ, क्योंकि पट्टा प्रथमदृष्टया सही प्रतीत नहीं होता, इसलिये उसके जांच की आवश्यकता नहीं है ।

7/ अतएव उक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर का विधाराधीन आदेश एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर, अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य